तारीख हुक्म	गोरधनराम बनाम लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार, जोधपुर) सू.अ.अपील संख्या 289 / 2022	न. व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
30.09.22	अपीलार्थी गोरधनराम सोनी पुत्र किसनाराम सोनी निवासी मु.पो. जाजीवाल कला, तहसील व जिला जोधपुर ने सूचना का अधिकार के तहत उसके द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 06.06.2022 में उसके द्वारा (1) राजस्थान सम्पर्क पोर्टल पर दर्ज परिवाद संख्या 052213612584751 में परिवाद द्वारा ग्राम जाजीवाल कला के खसरा न. 38 व 39 में हुए अवैध खनन का सीमांकन करवाने का निवेदन किया गया था, दिनांक 01. 06.2022 को तहसीलदार, जोधपुर द्वारा निस्तारण करते हुए यह बताया गया कि उक्त खसरान का सीमांकन कर पुलिस थाना प्रभारी को बता दिया गया है। उक्त सीमांकन की पैमाईश रिपोर्ट, मौका फर्द, मौका नक्शा फर्द रिपोर्ट की प्रतिलिपि से संबंधित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार, जोधपुर) को प्रेषित किया गया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना नहीं दी गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो. पक्ष (तहसीलदार, जोधपुर) से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। रेस्पो. पक्ष (तहसीलदार, जोधपुर) से आदिनांक तक तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई। अतः अपील स्वीकार की जाती है तथा लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार, जोधपुर) को निर्देशित किया जाता है कि प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना 15 दिवस के भीतर उपलब्ध करावे, अन्यथा नहीं दिये जाने के कारणों से प्रार्थी को अवगत कराया जावे। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया।	